प्रेस विज्ञप्ति
10.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायतों में शीघ्र एवं प्रतिदिन सुनवाई/विचारण तथा सभी अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 23.09.2026 को तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 33845/2026 दायर की है।

ईडी की जांच आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर शुरू की गई थी। यह एफआईआर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी एवं अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(सी) एवं (डी) के अंतर्गत दर्ज की गई थी। इसमें आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी सहित 73 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जांच की गई। जांच का उद्देश्य बड़े कॉरपोरेट समूहों एवं व्यक्तियों को सरकारी लाभ प्रदान किए जाने और इसके बदले वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी तथा उनके परिवार के सदस्यों की कंपनियों में भारी निवेश प्राप्त किए जाने की जांच करना था। यह कथित तौर पर उनके पिता, स्वर्गीय वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्रित्व काल में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाभों के बदले *क्विड प्रो क्वो* (पारस्परिक लाभ के बदले लाभ) की व्यवस्था के तहत किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, मेसर्स हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड, मेसर्स इंदु प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मेसर्स इंदु टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स लेपाक्षी नॉलेज हब प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वैनपिक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वैनपिक पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एन. निमगड्डा प्रसाद, मेसर्स रामकी फार्मा सिटी (इंडिया) लिमिटेड, मेसर्स द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड आदि कंपनियों एवं व्यक्तियों द्वारा वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी तथा उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित मेसर्स भारती सीमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जगति पब्लिकेशंस लिमिटेड, मेसर्स जननी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदि कंपनियों में अत्यधिक ऊंची दरों पर शेयरों की अभिदान-खरीद के माध्यम से भारी निवेश किया गया था।

ईडी ने वर्ष 2016 से 2021 के बीच हैदराबाद के नामपल्ली स्थित सीबीआई मामलों के विशेष न्यायालय के समक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी एवं अन्य के विरुद्ध 09 अभियोजन शिकायतें दायर कीं। दायर की गई सभी 09 शिकायतों में संज्ञान लिया जा चुका है और वे आरोपमुक्ति याचिकाओं पर सुनवाई के लिए लंबित हैं। आरोपमुक्ति याचिकाओं के लंबित रहने के कारण अभियोजन शिकायतें प्रारंभिक चरण में ही अटकी हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप दायर शिकायतों की आगे की कार्यवाही में विलंब हुआ है।

ईडी ने पाया कि संज्ञान लिए जाने के बाद पर्याप्त वर्ष बीत जाने के बावजूद सीबीआई के विशेष न्यायालय के समक्ष इन शिकायतों की कार्यवाही में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। विशेष न्यायालय द्वारा आरोपमुक्ति याचिकाओं पर सुनवाई की गई, लेकिन पीठासीन अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा अन्य कारणों से उन पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 730/2013

(**वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई**) में यह अवलोकन किया था कि आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी के अपराध हैं और इनके प्रति भिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। गहरी साजिशों से जुड़े तथा सार्वजनिक धन की भारी हानि से संबंधित आर्थिक अपराधों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए और इन्हें ऐसे गंभीर अपराधों के रूप में माना जाना चाहिए, जो संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं तथा देश की वित्तीय स्थिति के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

त्वरित विचारण के अधिकार, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है, के आधार पर ईडी ने तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया है और प्रार्थना की है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि कार्यवाही उचित शीघ्रता के साथ संचालित हो। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी मामले में कार्यवाही लगभग दस वर्षों से लंबित है और कार्यवाही का कालक्रम स्वयं यह दर्शाता है कि अभियोजन में उचित शीघ्रता का अभाव रहा है। न्यायहित में, दायर अभियोजन शिकायतों तथा उनके साथ उल्लिखित आरोपमुक्ति याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई एवं प्रतिदिन विचारण सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई है।

आगे की जांच जारी है।